

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प.४ ()विधि/अपील/अधि./2014/4196

: आदेश :

दिनांक : 28/11/14

विषय:- 1. अपील संख्या 928/2014

2. रामहरि मीणा (लैब टैक्नी.) बनाम अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर व अन्य।
3. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। (स्थानान्तरण से २ बघित)

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम ५ वर्ष 1908) के नियम १ एवं २ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिन राज्यपाल महोदय की ओर से उक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में राजस्थान राज्य की ओर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, अभिवचनों को सत्यापित करने एवं विधिआदेश नियम/विधिआदेश/ अधिनियम/ नियम/ विनियम/ परिपत्र/ दिशा-निर्देश/ अधिसूचना/आदेश/ सूचना एवं सुरक्षात तथ्य एकत्रित करेंगे।

प्रभारी अधिकारी को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे राज धन विधि एवं वैधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 में उल्लेखित प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तत्काल पश्चात अन्य कार्यवाही के साथ निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगे:-

- 1 प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी रीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
- 2 न्याय विभाग को प्रपत्र ALERT LETTER की सूचना तत्काल प्रेषित करेंगे।
- 3 प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित सभी पत्रावलियां/ दस्तावेज़/ अधिनियम/ नियम/ विनियम/ परिपत्र/ दिशा-निर्देश/ अधिसूचना/आदेश/ सूचना एवं सुरक्षात तथ्य एकत्रित करेंगे।
- 4 प्रकरण में उठाये गए सभी तथ्य एवं वैद्युतों पर प्रशासनिक अनुभाग से व्यात्करण स्थिति प्राप्त कर ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रकरण के प्रतिरक्षण/ पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/ सहायक हो, प्रस्तुत करेंगे।
- 5 प्रभारी अधिकारी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ संलग्न प्रपत्र के में उपलब्ध करायेंगे जिसमें प्रकरण की पैराकानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार विवरण एवं घटनाक्रम, संबंधित नियम, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं दिशा निर्देश और यदि पूर्ण में समान विद्युतों पर निर्णित अधिकरण/ उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के निर्णय Annexure-A- (खान) List/Details of Dates and Events, Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc, Courts Judgments under relevant & reference.) भी संबंध के ज्ञान व विभाग के रिकार्ड्सनुसार ज्ञात कर इस ब्रीफ में सम्पादित किए जायेंगे।
- 6 अधिकरण में दायर किए जाने वाले अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/ वैविध प्रार्थना पत्र आदि के संबंध में विभागीय तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण/ आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकांकण करेंगे, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
- 7 उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित कथन/ प्रत्युत्तर/अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/ प्रार्थना पत्र आदि दैयार करवाया जावेगा और प्रारूपित दस्तावेज एवं संबंध एवं राजकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों के सत्यापन/ प्रमाणीण रूप से माननीय अधिकरण को प्रस्तुत करावें।
- 8 माननीय अधिकरण में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं संहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।
- 9 प्रकरण में माननीय अधिकरण में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, करण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से संबंध एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।
- 10 प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी को माननीय अधिकरण में उपस्थित तोकर राजकीय अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे, साथ्य अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुग्रह संबंधित कार्यालय/ अधिकारी से ज्ञात करके माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करवायेंगे। इस हेतु प्रभारी अधिकारी प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगे।
- 11 प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी का कार्यवाही विवरण एवं आगामी तरीख पेशी का पत्रावली पर अंकन कर विभाग को अवगत करायेंगे और LITES के प्रपत्र ७ में आगामी तारीख का व्यक्तिशः इन्ड्राज के बायेंगे।
- 12 प्रभारी अधिकारी द्वारा माननीय अधिकरण से कोई आदेश, निर्देश, निर्णय गारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों संहित उसी दिन जानकारी/ सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी और माननीय अधिकरण उक्त निर्देश/ आदेश/ निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- 13 न्याय विभाग को निर्धारित प्रपत्र Court Order Information में निर्णय की सूचना देनी होगी।
- 14 प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ मान योग अधिकरण के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति माननीय अधिकरण से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- 15 Case Alert, order Alert एवं reminders का प्रतिउत्तर प्रभारी अधिकारी स्वयं न्याय विभाग को प्रस्तुत करवायेंगे और माननीय अधिकरण के निर्णय के संदर्भ में सम्पादित कार्यवाही एवं प्रगति से भी से न्याय विभाग वा समय-समय पर अवगत करवाया जावेगा।
- 16 विभाग के विरुद्ध पारित निर्णय के संदर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक प्रभारी अधिकारी का दायित्व निरन्तर रहेगा।
- 17 प्रभारी अधिकारी अपील प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबस ईट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/ Updation Center को समय-समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
- 18 प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण/ सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी आदि उस पर माननीय अधिकरण में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी का उपलब्ध करवाया जावेगा अन्यथा स्थिति में अंतिम वेतन भ्रातान प्रपत्र (एलपीसी) जारी नहीं होगा।
- 19 यदि प्रभारी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके अंतिम वेतन भ्रातान पाया जाता है तो स्वयं को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

निदेशक (ज्ञान स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक :- 28/11/14

क्रमांक : प.४ ()विधि/अपील/अधि./2014/4156

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय को उग्रों की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण का पैरावाई तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी केस को शीघ्र उपलब्ध करावे ताकि वे समय पर जवाब माननीय न्यायालय में पेश कर सकें। संलग्न: उपरोक्तानुसार
- 2 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
- 4 प्रभारी अधिकारी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), दौसा को आपील की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सम्बन्धित कार्यालय/ अधिकारी से सम्पर्क कर पैरावाई तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर समस्त सुरक्षात अभिलेख सहित प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक से पूर्व श्री राजेश निगम, स्थाई राजकीय अधिवक्ता (चिकित्सा पक्ष), राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर प्रकरण का जवाब अविलम्ब माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करें तथा जवाब की एक प्रति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भी प्रेषित करें। साथ ही माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही प्रगति एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत कराते रहें। संलग्न: उपरोक्तानुसार।
- 5 श्री राजेश निगम, स्थाई राजकीय अधिवक्ता (चिकित्सा पक्ष), राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर मो०८०८०९४१४०७५४९।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम को मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड एवं मेल करने वाला बाबत।
- 7 कम्प्यूटर ऑपरेटर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
- 8 रक्षित/आदेश पत्रावली।

सुलग्यक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर